न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0– 31/2016

शांति देवी पत्नि गणेशदास जाति स्वामी निवासी शेरेरा तहसील व जिला बीकानेर

प्रार्थीनी......

–:बनाम:–

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर

संलग्न प्रार्थना पत्र संख्या :–14/2014 ....अप्रार्थी...

<u>अपील अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

उपस्थिति अभिभाशकः–

1. श्री पैरोकार राज,

–:निर्णय:–

दिनांक– 13/01/2020

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए के अधीन प्रस्तुत कर ग्राम भोजेरा के ख.न.129 में तादादी 11.88 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतु ख.न. 409/130 में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने के कारण रास्ता दिलाये जाने एवं रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन करने हेतु निवेदन किया।

2– संक्षेप में प्रकरण के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 4.12.14 को न्यायालय हाजा में जरिये अभिभाषक श्री रामरतन गोदारा द्वारा 251 क आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राथीनी के ग्राम भोजेरा के ख.न. 129 में तादादी 11.88 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतु ख.न.409/130 में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने के कारण रास्ता दिलाये जाने एवं रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन करने बाबत प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्या 14/2014 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स्टेट को जवाब हेतु तलब किया। अप्रार्थी स्टेट द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहबन से पुनः पत्रावली संख्या 51/2016 दर्ज रजिस्टर की गई। तत्त्पश्चात् दिनांक 27.3.19 को पत्रावली संख्या 14/2014 नई पत्रावली संख्या 31/2016 के कलब की गई। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में ग्राम भोजेरा के ख.न. 409/130 की पशचिमी सीमा से 9 मीटर चौड़ा व 40 मीटर लम्बा रास्ता स्वीकृत करने की अनुशषा की है। पत्रावली में दिनांक 3.1.2020 को बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया व पैरोकार राज द्वारा राज्यहीत को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

हमने प्रार्थना पत्र ,जवाब,बहस तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के पास आने–जाने के लिए रास्ता नही है। रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। जो रास्ता चाहा है। उसको तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट व आईएलआर की जांच रिपोर्टनुसार न्यूनतम है। इन तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता तहसील बीकानेर के ग्राम भोजेरा के ख.न.409/130 की पश्चिमी सीमा से 9 मीटर चौड़ा व 40 मीटर लम्बा रास्ता 251 ए आरटीए के तहत स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी इस रास्ते मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दुगनी राशि तहसील कार्यालय बीकानेर मे जमा करायेगा। तहसीलदार बीकानेर यह राशि राजकोष में जमा करवायेगा। तहसीलदार बीकानेर राशि जमा होने पर राजस्व रिकार्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे ईन्द्राज करेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालानार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 16:23:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: